**भारत सरकार**

**सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उद्यम मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1016**

**उत्‍तर देने की तारीख: 03.12.2012**

**कलस्टर विकास अधिकारियों का नियमितीकरण**

**1016. श्री महेन्द्र सिंह माहरा:**

 क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आपके मंत्रालय द्वारा कलस्टर विकास अधिकारियों की सेवा संबंधी कोर्इ रिपोर्ट खादी और ग्रामोद्योग आयोग को प्रस्तुत करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो यह रिपोर्ट आपके मंत्रालय को कब प्राप्त हुर्इ;

(ग) किन-किन कारणों से अभी तक आपके मंत्रालय ने इन अधिकारियों की सेवा के संबंध में निर्णय नहीं लिया है;

(घ) क्या इन अधिकारियों का चयन अस्थार्इ रूप से किया गया था; और

(ड.) यदि नहीं, तो इतने लम्बे समय तक कार्य करने के बाद भी स्थार्इ नियुक्‍ति प्रदान न करने के क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)**

**(श्री के. एच. मुनियप्‍पा)**

(क) से (ड़): पारंपरिक उद्योगों के पुनरूत्‍थान हेतु निधि की योजना(स्‍फूर्ति) के तहत क्‍लस्‍टर विकास कार्यपालकों(सीडीई) की नियुक्‍ति कार्यान्‍वयन एजेंसियों(आईए) द्वारा अवधि विशेष के लिए विशिष्‍ट क्‍लस्‍टर हेतु संविदा के आधार पर की जाती हैं। ये सीडीई खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) अथवा भारत सरकार के कर्मचारी नहीं होते हैं। केवीआईसी को विकसित क्‍लस्‍टरों के लिए उपयुक्‍त निर्गम नीति बनाने और कार्यान्‍वित करने का निदेश दिया गया है जो अन्‍य बातों के साथ-साथ उनकी वहनीयता और भावी विकास का ध्‍यान रखती है, साथ ही इसे इस नीति को 2012-13 के भीतर कार्यान्‍वित करने का निदेश दिया गया है। केवीआईसी को किसी भी विकसित क्‍लस्‍टर में 31.03.2013 के बाद किसी सीडीई को जारी नहीं रखने की शर्त के साथ उन्‍हें रखने की आवश्‍यकता और इसके औचित्‍य को ध्‍यान में रखते हुए सीडीई को जारी रखने या नहीं रखने के बारे में क्‍लस्‍टर-वार अलग-अलग निर्णय लेने के लिए भी कहा गया है।

\*\*\*\*\*\*